भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4440

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मल-जल शोधन संयंत्र का उन्नयन

4440. श्रीमती संजना जाटवः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर के अनेक शहरों में मल-जल शोधन संयंत्र हैं जो अपशिष्ट जल को छोड़ने के लिए उसे पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना उपयुक्त स्तर तक शोधित करने पर प्रमुख रूप से ध्यान देते हैं न कि इसे पीने के कार्य हेतु शुद्ध करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण पेयजल का उत्पादन करने के लिए मल-जल शोधन संयंत्र का उन्नयन करने हेतु की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। इसके अलावा, अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया था, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रों में से एक है।

अमृत के अंतर्गत 34,505 करोड़ रुपये की 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके माध्यम से 4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) सृजित की गई है, जिसमें से 1,437 एमएलडी क्षमता को रीसाइकिल/पुनः उपयोग के लिए विकसित किया गया है। अमृत के तहत सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक 67,607.67 करोड़ रु. की 592 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,739 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) शामिल है, जिसमें से 2,093 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता रीसाइकिल/रीयूज के लिए है। अमृत 2.0 के अंतर्गत एसटीपी का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्थायी आधार पर पर्यावरण मानकों को पूरा करते हुए पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और शोधित निर्वहन अपशिष्ट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य जल के उपयुक्त रीयूज के अवसर पैदा करना है, जिससे मिशन के तहत जल उपलब्धता बढ़ाकर जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य में योगदान किया जा सके।

*****

"मल जल शोधन संयंत्र का उन्नयन" विषय पर दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4440 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकसित की गई एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	कार्यान्वयन चरण में एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	कुल एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	40	165	205
2	अरुणाचल प्रदेश		3	3
3	छत्तीसगढ़	263.2		263.2
4	दिल्ली		68	68
5	दमन और दीव	4.21		4.21
6	गुजरात	1582.4		1582.4
7	हरियाणा	231.86	44.37	276.23
8	हिमाचल प्रदेश	31.1		31.1
9	जम्मू और कश्मीर	8		8
10	झारखंड		36	36
11	कर्नाटक	132.55	78	210.55
12	केरल	11.6	16.2	27.8
13	मध्य प्रदेश	570.85	391.65	962.5
14	महाराष्ट्र	529.5	303.5	833
15	मेघालय	1.65		1.65
16	ओडिशा	0.12		0.12

17	पंजाब	131.25	380.5	511.75
18	राजस्थान	266.75	28	294.75
19	तमिलनाडु	289.97	210.03	500
20	तेलंगाना	18.25		18.25
21	उत्तर प्रदेश	280	128	408
22	उत्तराखंड	49.55		49.55
23	पश्चिम बंगाल	4.3		4.3
कुल		**4447.11**	**1852.25**	**6299.36**

अमृत के अंतर्गत पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए विकसित एसटीपी क्षमता की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए विकसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
छत्तीसगढ़	326.2
दमण और दीव	4.21
गुजरात	294
हरियाणा	57.75
जम्मू और कश्मीर	2.5
कर्नाटक	92.25
केरल	1
मध्य प्रदेश	477.55
राजस्थान	88.25
तमिलनाडु	90
तेलंगाना	3.4
उत्तराखंड	0.45
कुल	**1,437.56**

*****

"मल जल शोधन संयंत्र का उन्नयन" विषय पर दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4440 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत 2.0 के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	एसटीपी क्षमता वृद्धि (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	421.97
2	असम	9
3	बिहार	297.8
4	छत्तीसगढ़	322
5	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	10
6	दिल्ली	178.15
7	गुजरात	1,186.74
8	हरियाणा	96.5
9	हिमाचल प्रदेश	1.1
10	जम्मू और कश्मीर	54
11	केरल	65.65
12	लद्दाख	11.1
13	मध्य प्रदेश	1,084.54
14	महाराष्ट्र	1,197.50
15	मिजोरम	4.1

16	नागालैंड	10.58
17	पुदुचेरी	29
18	पंजाब	2
19	राजस्थान	239.69
20	तमिलनाडु	81.51
21	तेलंगाना	1,132.00
22	उत्तर प्रदेश	201
23	पश्चिम बंगाल	104
कुल		6739.92

अमृत 2.0 के अंतर्गत पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए विकसित एसटीपी क्षमता की राज्य-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग हेतु जल की मात्रा (एमएलडी में)
आंध्र प्रदेश	40.00
असम	1.00
चंडीगढ़	90.80
छत्तीसगढ़	41.50
गुजरात	527.00
केरल	5.53
लद्दाख	5.50
मध्य प्रदेश	306.48
महाराष्ट्र	435.75
पंजाब	125.00
राजस्थान	220.85
तमिलनाडु	57.65
तेलंगाना	1.40
उत्तर प्रदेश	46.50
पश्चिम बंगाल	19.00
बिहार	153.43
नागालैंड	10.58
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	6.00
कुल योग	2,093.96

******